कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं (राज0)

क्रमांक / 9543 दिनांक : 18.12.2021

::विज्ञप्ति::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र संख्या जी/आई/ए–4 (i)(a)55/16/976 दिनांक 08.12.2021 की अनुपालना में झुंझुनूं न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक न्यायालयों में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 73 रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 17 (10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति पर दिनांक 31.03.2022 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिये सेवाएं ली जानी है।

<u>शर्ते</u> :–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि नियमानुसार देय होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस के वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें तथा वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होगें। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्याधीन होगी।
4. कार्मिक को पुर्ननियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं झुंझुनूं न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के रिक्त पदों हेतु ली जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 23.12.2021 को 5:00 PM तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

<u>आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है</u> :–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति।
3. पीपीओं की प्रति।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न है।)

— S.d —

(अरूण कुमार अग्रवाल– I)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
झुंझुनूं (राज0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्रेषित हैः–

क्रमांक / 9571 दिनांकः 18.12.2021

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश समस्त राजस्थान
4. जिला कलेक्टर, झुंझुनूं
5. झुंझुनूं न्यायक्षेत्र के अधिनस्थ न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सम्बन्धित न्यायालय ....
6. जिला जन संपर्क अधिकारी, झुंझुनूं
7. सिस्टम ऑफिसर, अदालत हाजा को कार्यालय की वेबसाईड पर अपलोड हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा
9. स्थापना शाखा।

18/12/21

(अरूण कुमार अग्रवाल– I)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
झुंझुनूं (राज0)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंझुनू (राज0)

॥॥राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन प्रारूप॥॥

1.	सेवानिवृत कर्मचारी का नाम	:..
2.	पिता/पति का नाम	:..
3.	जन्मतिथि	:..
4.	पता	:.. ....
5.	आयु(दिनांक 01.12.2021)	:............ वर्ष........... माह ....दिन
6.	अर्हताएं	:..
7.	मूल विभाग का नाम	:..
8.	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद	:..
9.	अनुभव	:.. ....
10.	सेवानिवृति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन+ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है)	:..
11.	मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है)	:..
12.	धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृति के समय)	:..
13.	विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)	:..

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थानः

दिनांक :

सेवानिवृत्त
अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण – पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व ....पद पर .... विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिये उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती .... रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय सील